न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 39/2017

रामचरन पुत्र श्री पन्नालाल जाति मीना निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 आर0टी0एक्ट0

व नक्शा दुरूस्ती धारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थीया : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 19.06.2017 — निर्णय दिनांक : 03.10.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की पैतृक आराजी हाल खाता नं0 11 खसरा नं0 150 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 152 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 156 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 157 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 158 रकबा 2.00 है0, खसरा नं0 185 रकबा 0.07 है0 कुल किता 6 रकबा 2.49 है0 वाके ग्राम हिंगोनिया तह0 मांगरोल में स्थित है। जिसमें से वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं0 150 रकबा 0.16 है0 जिसको वाद में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी के साबिक खसरा नं0 48 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा सेटलमेंट पूर्व दर्ज वादी की मां केदारीबाई के नाम दर्ज है। सेटलमेंट विभाग द्वारा दोराने सेटलमेंट साबिक खसरा नं0 48 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के नये नम्बर खसरा नं0 150 रकबा 0.16 है0 कायम किये गये है जबकि वर्तमान में भी गत नक्शे के अनुसार ही मौके पर आराजी है मात्र रेकार्ड में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान नक्शे में परिवर्तन होने से वादी को काफी समस्या का सामना करना पडता रहा है इसलिए वादी अपने नक्शे को साबिक नक्शे के समान दुरूस्त करवाना चाहता है जिसका वादी अधिकारी है। सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शा परिवर्तन किया है जिसका सेटलमेंट को कोई अधिकार प्राप्त नही था जिसको वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम हिंगोनिया तहसील मांगरोल के खसरा नं0 150 रकबा 0.16 है0 का नक्शा गत खसरा नं0 48 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के नक्शे के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रतिवादी को दिये जाने की कृपा करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 19.06.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो

लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/मु0ज0/2018/4874 दिनांक 01.10.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम हिंगोनिया की वर्तमान जमाबंदी 2073–76 में खाता सं0 99 पर खसरा नं0 150 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 152 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 156 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 157 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 158 रकबा 2.00 है0, खसरा नं0 185 रकबा 0.07 है0 कुल किता 6 रकबा 2.49 है0 भूमि रामचरण पुत्र पन्नालाल मीणा सेटलमेंट पूर्व के खसरा नं0 48 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के नक्शा अनुसार ही काबिज है वर्तमान में सेटलमेंट द्वारा खसरा नं0 150 रकबा 0.16 है0 के नक्शे को छोटा बनाया गया है जिसकी रकब बरारी करने पर रकब 0.09 है0 ही आता है। मौके पर प्रार्थी खसरा नं0 150 में मौके पर 0.16 है0 पर पुराने नक्शे अनुसार ही काबिज है। अतः मौके पर खसरा नं0 150 के नक्शे को संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार को लाल स्याही से दर्शाया है दुरूस्त किया जा सकता है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम हिंगोनिया में स्थित आराजी खसरा नं0 150 रकबा 0.16 है0 में दौराने सेटलमेंट हुयी नक्शा परिवर्तन को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थी की सेटलमेंट पूर्व आराजी खसरा नं0 48 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का वर्तमान में सेटलमेंट द्वारा खसरा नं0 150 रकबा 0.16 है0 के नक्शे को छोटा बनाया गया है जिसकी रकबा बरारी करने पर रकबा 0.09 है0 ही आता है। मौके पर प्रार्थी खसरा नं0 150 में मौके पर 0.16 है0 पर पुराने नक्शे अनुसार ही काबिज है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझता है। अतः तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि ग्राम हिंगानिया की आराजी खसरा नं0 150 रकबा 0.16 है के नक्शे को संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन